रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 7, 1989/आश्विन 15, 1911
No. 530] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 7, 1989/ASVINA 15, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1989

सा.का. नि 882 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

"सं. आ. 142"

"संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां

आदेश, 1989

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 है।

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को, संविधान के प्रयोजनों के लिए, जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में, जहां के उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उस राज्य के निवासी हैं, अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा।

अनुसूची

1. बाल्टी
2. बेडा
3. बोट, बोटो
4. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
5. चंगपा
6. गर्रा
7. मोन
8. पुरिगपा

आर. वेंकटरामन, राष्ट्रपति

[सं. फा. 19(7)/89-वि. I]

वी.एस. रमा देवी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 1989

G.S.R. 882 (E).—The following Order made by President is published for general informations :—

"C. O. 142"

"THE CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR) SCHEDULED TRIBES ORDER, 1989

In exercise of the powers conferred by clause (I) of article 342 of the Constitution of India, the President, after constitution with the Government of

the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Jammu and Kashmir so far as regards members thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

1. Balti
2. Beda
3. Bot, Boto
4. Brokpa, Drokpa, Dard, Shin
5. Changpa
6. Garra
7. Mon
8. Purigpa.

R. VENKATARAMAN,
PRESIDENT

[No. F. 19(7)/89-L.I.]
V. S. RAMA DEVI, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Dehli-110054, 1989